

अररिया वन प्रमंडल, अररिया।

क्षतिपूरक वनरोपण के लिए 220 पौधों का लौह गैबियन वृक्षारोपण का प्राक्कलन।

प्रयोक्ता एजेंसी — Paradip - Numaligarh Crude Oil Pipeline (श्री इन्द्रजीत कमन)

वनरोपण स्थल — किशनगंज शहर।

प्रक्षेत्र का नाम — किशनगंज प्रक्षेत्र।

प्रखंड — किशनगंज

पौधों का आकार— 6-7 फीट (प्रजाति — कवनाए, करंज, छतवन इत्यादि।

पौधों की संख्या —

100

मजदूरी दर प्रति मानव दिवस—

373.00

आक्षांश प्रारंभिक — N-

देशांतर प्रारंभिक — E-

आक्षांश अंतिम — N-

देशांतर अंतिम — E-

Item no	कार्य	इकाई	भौतिक लक्ष्य	आवश्यक मानव दिवस	मजदूरी दर	मजदूरी	सामग्री	कुल
20.0	अग्रिम एवं समापन (प्रथम वर्ष)							
20.0.1	5' x 20" (जमीन के उपर) आकार का लौह गैबियन का निर्माण समग्री एवं मजदूरी सहित	प्रति गैबियन	100	-	373	0.0	2294	229400
20.0.2	मृदा कार्य 45 cm x 45 cm x 45 cm कड़ी मृदा (मिट्टी कोड़ना)	प्रति 1000 पौधा	100	0.0879	373	33.0	0	3300
20.0.3	लौह गैबियन को वृक्षारोपण स्थल तक बुलाई कर पीसीसी द्वारा जमीन में स्थापित करना।	प्रति 1000 पौधा	100		373	353.0	0	35300
20.0.4	पौधा रोपण (10 ग्राम डी.ए.पी. एवं 7 ग्राम कीटनाशक मिट्टी एवं बर्मी कम्पोस्ट के मिश्रण के साथ)।	प्रति 1000 पौधा	100	0.0960	373	36.0	2.5	3850
20.0.5	6-7' फीट उचाई के पौधों का क्रय, परिवहन एवं लोडिंग अनलोडिंग सहित इत्यादि (20 प्रतिशत अधिक के साथ) (160 प्रति पौधा)	प्रति 1000 पौधा	120	-	373	0.0	150	18000
20.0.7	सूक्ष्म पोषक (micro Nutrient) (80रु0 प्रति पौधा)	प्रति 1000 पौधा	100		373	0.0	50	5000
20.0.8	बर्मी कम्पोस्ट (पीट में मिट्टी के साथ खालने हेतु) का क्रय परिवहन के साथ प्रति पौधा 5 किलो ग्राम। (80रु0 प्रति पौधा)	प्रति 1000 पौधा	100	-	373	0.0	50	5000
20.0.9	विशिष्ट कार्य (छायांकन इत्यादि)		100		373		5000	5000
20.0.10	विशिष्ट कार्य (पटवन एवं संबंधित सामग्री, डीजल इत्यादि का क्रय)। (80रु0 प्रति पौधा)	प्रति 1000 पौधा	100	-	373	0.0	80	8000
20.0.11	प्रथम वर्ष पौधों के लगातार कोड़नी निकौनी, मृत पौधों का बदलाव तथा 9 माह (जुलाई से मार्च तक) पटवन हेतु एक मजदूर (26x268x9) = 62712 रु. प्रति 500 पौधा, रासायनिक खाद एवं पटवन सामग्री, डेला इत्यादि।	प्रति 1000 पौधा	500	0.4680	373	175.0	0	87500
कुल—								400350
20.1.0	द्वितीय वर्ष (प्रथम वर्ष सम्पोषण)							
20.1.1	पौधा के दो कोड़नी निकौनी, मृद पौधों का बदलाव तथा 12 माह अप्रैल से मार्च तक) पटवन हेतु एक मजदूर (26x268x12) = 83616 प्रति 500 पौधा रासायनिक खाद, बर्मी कम्पोस्ट एवं पटवन सामग्री इत्यादि।	प्रति 1000 पौधा	500	0.624	373	233	0	116500
20.1.2	विशिष्ट कार्य (पटवन एवं संबंधित सामग्री, डीजल इत्यादि का क्रय)। (80रु0 प्रति पौधा)	प्रति 1000 पौधा	100		373	0	80	8000
20.1.3	मृद पौधों का बदलाव @150/- रु. प्रति पौधा का 10 प्रतिशत पौधों का बदलाव	प्रति 1000 पौधा	100		373	0	15	1500
कुल—								126000
20.2.0	तृतीय वर्ष (द्वितीय वर्ष सम्पोषण)							
20.2.1	1 से 160 पौधा हेतु प्रति माह 05 मजदूरी	प्रति माह	1-150	5	373	0	0	22380
कुल—								22380
20.3.0	चतुर्थ वर्ष (तृतीय वर्ष सम्पोषण)							
20.3.1	1 से 160 पौधा हेतु प्रति माह 05 मजदूरी	प्रति माह	1-150	5	373	0	0	22380
20.3.5	पैटिंग आदि विविध व्यय।	प्रति गैबियन	100			0	100	5000

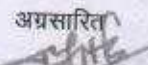
20.4.0	पंचम वर्ष (चतुर्थ वर्ष सम्पोषण)						
20.4.1	1 से 150 पौधा हेतु प्रति माह 05 मजदूरी	प्रति माह	1-150	5	373	0	22380
20.5.0	षष्ठम वर्ष (पंचम वर्ष सम्पोषण)						
20.5.1	1 से 150 पौधा हेतु प्रति माह 05 मजदूरी	प्रति माह	1-150	5	373	0	22380
20.6.0	सप्तम वर्ष (षष्ठम वर्ष सम्पोषण)						
20.6.1	1 से 150 पौधा हेतु प्रति माह 05 मजदूरी	प्रति माह	1-150	5	373	0	22380
20.6.5	पैटिंग आदि विविध व्यय।	प्रति रैभियन	100			0	5000
20.7.0	अष्टम वर्ष (सप्तम वर्ष सम्पोषण)						
20.7.1	1 से 150 पौधा हेतु प्रति माह 05 मजदूरी	प्रति माह	1-150	5	373	0	22380
20.8.0	नवम वर्ष (अष्टम वर्ष सम्पोषण)						
20.8.1	1 से 150 पौधा हेतु प्रति माह 05 मजदूरी	प्रति माह	1-150	5	373	0	22380
20.9.0	दसम वर्ष (नवम वर्ष सम्पोषण)						
20.9.1	1 से 150 पौधा हेतु प्रति माह 05 मजदूरी	प्रति माह	1-150	5	373	0	22380
कुल योग-							715390

योजना का सारांश-				
क्र० सं०	राशि	वृद्धि	कुल	अभ्युक्ति
1	400350	0	400350	
2	126000	12600	138600	10 प्रतिशत
3	22380	4476	26856	20 प्रतिशत
4	27380	8214	35594	30 प्रतिशत
5	22380	8952	31332	40 प्रतिशत
6	22380	11190	33570	50 प्रतिशत
7	27380	16428	43808	60 प्रतिशत
8	22380	15666	38046	70 प्रतिशत
9	22380	17904	40284	80 प्रतिशत
10	22380	20142	42522	90 प्रतिशत
	715390	115572	830962	

- नोट- (1) क्षतिपूरक वनरोपण का प्राक्कलन तैयार करते समय वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा मजदूरी दर में संभावित वृद्धि के कारण द्वितीय वर्ष से क्रमशः 10/20/30/40/50/60/70/80/90 प्रतिशत की उत्तरोत्तर वृद्धि का प्रस्ताव दिया गया है।
(2) चतुर्थ वर्ष से दसम वर्ष के लिये पशुरक्षक पर व्यय, संबंधित वन संरक्षक, महोदय के अनुमोदनोपरांत किया जायेगा।
(3) प्रथम वर्ष सम्पोषण में 500 से कम पौधे होने पर भी कम से कम 500 पौधे के लिए निर्धारित दर पर प्राक्कलन तैयार कर समापित किया गया।

समर्पित

वनो के क्षेत्र पदाधिकारी,
किशनगंज।

अग्रसारित

वन प्रमंडल पदाधिकारी
अररिया वन प्रमंडल, अररिया।

कुल 8,30,962/- रुपये मात्र (आठ लाख तीस हजार नौ सौ बासठ) के प्राक्कलन पर तकनीकी स्वीकृती प्रदान की जाती है।


वन प्रमंडल पदाधिकारी
अररिया वन प्रमंडल, अररिया।
